| | | |
|---|---|---|
| | नवीन कुमार व अन्य बनाम सुन्दरबाई व अन्य<br>09/2018 मूल दीवानी | |
| | 29.08.2018 :–<br>वकुलाय उपस्थित ।<br>प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी पी सी दिनांक 16.08.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण के ध्यान में दिनांक 26.07.2018 की पेशी थी परन्तु सम्भवतया आदेशिका पर गलती से 25.07.2018 अंकित हो जाने से पत्रावली दिनांक 25.07.2018 को प्रस्तुत हुई एवं जब प्रतिवादीगण दिनांक 26.07.2018 को उपस्थित हुए तो उन्हें उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की जानकारी हुई । इस प्रकार प्रतिवादीगण ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है । यह वाद प्रतिवादीगण की मिल्कियत की कृषि भूमि के दानपत्र को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है । इस कारण उक्त एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कर पुनः दोतरफा किया जाना आवश्यक है । अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया गया ।<br>प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादीगण को दिलाई गई जिन्होंने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण अपनी लापरवाही के कारण पेशी पर उपस्थित नहीं हुए हैं जिसका लाभ उन्हें प्रदान नहीं किया जा सकता । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।<br>उभयपक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में वाद दर्ज होने के पश्चात् नियत प्रथम पेशी दिनांक 21.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वयं उपस्थित हुए थे एवं वकालतनामा व जवाबदावा पेश करने हेतु अवसर चाहा था । तत्पश्चात् दिनांक 09.07.2018 को पीठासीन अधिकारी के राज्य कार्य से बाहर होने से आगामी पेशी 25.07.2018 नियत की गई थी एवं उस दिन उक्त प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये थे । हालांकि प्रतिवादीगण ने अनुपस्थिति का जो कारण बताया है वह माने जाने योग्य नहीं है परन्तु यह वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा | |

| | | |
|---|---|---|
| | प्रतिवादी संख्या–2 व 3 के पक्ष में कृषि भूमि के संबंध में निष्पादित दानपत्र के अवैध व शून्य घोषित कराने व तद्नुसार अन्य अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने एकपक्षीय आदेश होने के पश्चात् नियत प्रथम पेशी दिनांक 29.08.2018 से पूर्व दिनांक 16.08.2018 को ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः वाद की प्रकृति एवं समस्त स्थिति को देखते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध दिनांक 25.07.2018 को पारित एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया जाता है एवं उनके प्रति कार्यवाही पुनः द्विपक्षीय की जाती है ।<br>पत्रावली वास्ते जवाबदावा दिनांक 03.10.2018 को पेश हो । | |